न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादी :–

शांति प्रजपत पुत्री अर्जुनराम जाति कुम्हार निवासी गुलर हाल निवासी डेगाना तहसील डेगाना

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार परबतसर
2. पटवारी हल्का गुलर तहसील परबतसर जिला नागौर
3. श्रीकृष्ण पुत्र अर्जुनराम जाति कुम्हार निवासी गुलर तहसील परबतसर
4. कमला देवी पत्नी अर्जुन राम जाति कुम्हर निवासी गुलर
5. पूजा प्रजापत पुत्र अर्जुन राम जाति कुम्हार निवासी गुलर
6. सुमन कुमावत पुत्री अर्जुन राम जाति कुम्हार निवासी गुलर हाल निवासी बालीग्राम सुरत
7. मुन्नी प्रजापत पुत्री अर्जुन राम जाति कुम्हार निवासी गुलर हाल निवासी पीपली का बास माल्याबास जयपुर
8. सुशीला पुत्री अर्जुन राम जाति कुम्हार निवासी गुलर हाल ईटावा बामणिया

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (परबतसर (डीडवाना-कुचामन))

दावा बाबत् :– घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– श्री शैतानसिंह अधिवक्ता वादी

श्री आाशीष शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 8

मुकदमा नम्बर :– 2022 / 247 निर्णय दिनांक :– 19.08.2025

निर्णय

वकील वादी ने यह वाद पेश किया है कि वादी की राजस्व हैक्टेयर खसरा नम्बर 1359 रकबा 5.7600 हैक्टेयर खाता संख्या नया ग्राम गुलर पटवार हल्का गुलर की राजस्व सीमा में खेत कृषि भूमि के नया खाता संख्या 306 खाता संख्या पुराने 266 के खसरा नम्बर 1347 रकबा 1.9500 हैक्टेयर, खाता संख्या 308 खत संख्या पुराने 265 के खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.1100 हैक्टयर खसरा नम्बर 1349 रकबा 2.3900 हैक्टयर खसरा नम्बर 1350 रकबा 1.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1353 रकबा 1.4600 हैक्टेयर खाता संख्या नया 352 खाता संख्या पुराने 308 के खसरा नम्बर 1358 रकबा 2.9100, खाता संख्या 352 पुराने 308 के खसरा नम्बर 1357 रकबा 3.2400 हैक्टेयर खाता संख्या नया 435 पुराने खाता संख्या 383 के खसरा नम्बर 1327 रकबा 1.3700 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादी के पिता अर्जुनलाल की मृत्यु होने पर फोतगी के म्यूटेशन में वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 का नाम राजस्व अधिकारियों ने भूल बंश अंकित नहीं किया है जबकी वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 अर्जुनलाल के वारिस है जिससे उनकी जायदादमें आये हुए हिस्से को अपने नाम करवाने के अधिकारी है। वादी के द्वारा सरकारी सहायता हेतु आवेदन के लिए जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी हुई की वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं हो रखा है जबकी वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 अर्जुन लाल के वारिस होने से उपरोक्त आराजियात बाई बर्थ होने से अधिकारी है। वादी ने अपना नाम दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के द्वारा शुद्ध हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का ने असमर्थता जाहिर की तथा पटवारी हल्का द्वारा म्यूटैशन भरते समय किसी प्रकार की जांच नहीं की ।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी सम्पति होने से व अर्जुनलाल के वारिस होने से सबका बराबर–बराबर हक हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात में वादी अपना नाम अंकित करवाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 का नाम राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा दर्ज नहीं कर म्यूटेशन गलत दर्ज कर दिया है जो रेकर्ड दुरूस्ती की इस्तदुआ चाही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरीकर को जवाब हेतु लिखा गया व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा इस प्रकार किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1359 रकबा 5.7600 हैक्टेयर खाता संख्या नया ग्राम गुलर पटवार हल्का गुलर की राजस्व सीमा में खेत कृषि भूमि के नया खाता संख्या 306 खाता संख्या पुराने 266 के खसरा नम्बर 1347 रकबा 1.9500 हैक्टेयर खाता संख्या नया 308 खाता संख्या पुराने 265 के खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1349 रकबा 2.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1350 रकबा 1.8600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1353 रकबा 1.4600 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 352 खाता संख्या पुराने 308 के खसरा नम्बर 1358 रकबा 2.9100, 352 खाता संख्या पुराने 308 के खसरा नम्बर 1357 रकबा 3.2400 हैक्टेयर खाता संख्या नया 435 पुराने खाता संख्या 383 के खसरा नम्बर 1327 रकबा 1.3700 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रक सम्पति है जिसमें सभी का हिस्सा बराबर–बराबर स्थित है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 3,4,5 के नाम ही फोतगी का आराजीयात दर्ज कर दी गई है लेकिन उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 का भी हिस्सा निहित है उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तो हम सभी पक्षकारान की पूर्ण सहमति है व मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 राजपैराकार व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब भिजवाया गया जिसके अनुसार ग्राम गुलर के राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 1358 1359 1347 1348 1349 1350 1353 1357 1327 रकबा सहित दर्ज है वादी के पिता अर्जुन की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारीसान की जांच मजमेआम में की गई जिसके अनुसार मृतक अर्जुनराम के एक पुत्र श्री कृष्ण, एक पत्नि कमलादेवी व पांच पुत्रिया पूजा,शांति,सुमन, मुन्नी, सुशीला कुल 7 वारीस बताए गए व वाद में अंकित वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 मृतक अर्जुन के वारीस होने से भूमि में नाम करवाया जाना उचित है। इस प्रकार जवाब सरकार आने व वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से पत्रावली बहस में तलब की जाकर बहस उभय पक्षों की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद को मुताबीक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का प्रेक्षण किया गया तो दावा वादी मुताबिक राजीनामा व तहसीलदार के जवाब अनुसार स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद मुताबीक राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम गुलर के खसरा नम्बर 1358 1359 1347 1348 1349 1350 1353 1357 1327 भूमि में अर्जुन लाल के वारिसानों में वादी व प्रतिवादी संख्या 6,7,8 का नाम

इन्द्राज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। तहसीलदार परबतसर को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना-कुचामन)